2--आवेदन निस्तारण

11

G. O. No. 16/2/68—Appoint. (kha) Dated January 23, 1970

विषय : कर्मचारियों से, मूल विभाग से बाहर सेवायोजन के लिए प्राप्त आवेदन निस्तारण।

Subject: Disposal of application of employees for posting outside the parent department.

महोदय,

"मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2/63-नियुक्ति (ख) दिनांक 7 मार्च, 1969, व सं० 16/2/68-नियुक्ति (ख), दिनांक 29 जुलाई, 1969 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान आदेशानुसार स्थायी कर्मचारियों को भारत सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, आदि द्वारा विज्ञापित पदों के लिए पूरे सेवा काल में तीन आवेदन-पत्र देने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। यदि आवेदक राजपत्रित कर्मचारी है तो यह सुविधा उसे 30 वर्ष (प्राविधिक सेवा अथवा पदों के लिए 35 वर्ष की आयु तक अथवा 5 वर्ष के राजपत्रित कर्मचारियों के लिए आयु-सीमा 5 वर्ष अधिक है)। यह देखा गया है कि आयु-सीमा के वर्तमान प्रतिबन्ध के कारण राज्य सरकार के अधिकांश राजपत्रित कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार आदि द्वारा विज्ञापित उच्चतर पदों पर सेवा करने से वंचित रह जाते हैं। अतः लोक सेवा के हित में शासन ने इस सम्बन्ध में और अधिक उदारतापूर्वक नीति बरतने का निश्चय किया है। भविष्य में बाहरी पदों के लिए आवेदन-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में नयी नीति इस प्रकार होगी।

अ—स्थायी कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों का निस्तारण

(1) (क) किसी अस्थायी कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवा काल में बाहरी पदों के लिए छः से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किये जायेंगे। 17 मार्च, 1969 के पूर्व अग्रसारित आवेदनपत्रों की गणना इस सम्बन्ध में नहीं की जायेगी।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी पद के लिए आवेदन-पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

(ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के द्वारा विज्ञापित पदों को 'बाहरी पदों' की श्रेणी में समझा जायेगा, उदाहरणार्थ संघ लोक सेवा आयोग, अन्य प्रदेशों के आयोग, सरकारी क्षेत्र के निगमों आदि द्वारा विज्ञापित पद।

(2) यदि आवेदक स्थायी राजपत्रित कर्मचारी है तो उसे आवेदन-पत्र देने की सुविधा अप्राविधिक तथा प्राविधिक सेवा पद के लिए निम्नांकित आयु-सीमा तक उपलब्ध रहेगी :—

अप्राविधिक सेवा/पद के लिये	...40 वर्ष तक।
प्राविधिक सेवा/पद के लिये	...45 वर्ष तक।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए आयु-सीमा 5 वर्ष से अधिक रहेगी। यदि किसी बाहरी सेवा/पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग आदि द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में आयु सीमा 40-45 वर्ष से अधिक निर्धारित हो तो उसके लिए दिये गये आवेदन-पत्रों के गुणावगुण पर विचार कर आयु-सीमा के प्रतिबन्ध से छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे मामले में नियुक्ति (ख) विभाग का पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

(3) वर्तमान आदेशों में राजपत्रित कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष की राजपत्रित सेवा का प्रतिबन्ध है। पिछले पैराग्राफ में जो आयु-सीमाएं अब निर्धारित की गयी है, वहाँ तक पहुँचने में राजपत्रित सेवाकाल

अधिकांश मामलों में पाँच वर्ष से अधिक हो जाता है। अतः शासन ने इस प्रतिबन्ध को तत्काल हटाने का निश्चय किया है।

(4) उपरोक्त आदेश केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो अपने पदों पर स्थायी है। यदि किसी स्थायी राजपत्रित कर्मचारी की किसी राजपत्रित पद पर अस्थायी नियुक्ति हो तो उसे इस शासनादेश के प्रयोजन के लिए अराजपत्रित ही माना जायेगा और उपरोक्त पैरा (2) के आदेश उस पर लागू नहीं होंगे।

(5) कोई भी विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष लोक-हित में किसी कर्मचारी के आवेदन पत्र को अपने विवेकानुसार रोक सकता है।

(6) अस्थायी कर्मचारियों (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) के आवेदन-पत्र कार्यालय ज्ञाप संख्या 4379/दो-क-561-1957 दिनांक 19 नवम्बर, 1959 के पैरा 17 से 20 से उल्लिखित उपबन्धों के अधीन अग्रसारित किये जायेंगे। उस पर कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं लागू होगा। कभी-कभी विभागाध्यक्ष अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र अग्रसारित करते समय यह प्रतिबन्ध लगा देते हैं कि नये पद के लिए चुन लिये जाने पर उनको शासन के अधीन अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसा भी देखने में आया है कि आवेदन-पत्र यथाविधि अग्रसारित करने के बाद चुनाव हो जाने पर कर्मचारी द्वारा कार्य-मुक्ति की प्रार्थना की गयी, किन्तु उसे समय से कार्यमुक्त नहीं किया गया अथवा त्याग पत्र देने को कहा गया, यह स्थिति ठीक नहीं है। किसी भी अस्थायी कर्मचारी का आवेदन-पत्र उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा 17-18 के अनुसार, बिना त्याग-पत्र की शर्त लगाये अग्रसारित करना चाहिये। ऐसे कर्मचारी को नये पद के लिये चुन लिये जाने पर, उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा-19 के अनुसार यथाशीघ्र कार्य-मुक्त कर देना चाहिए।

(7) राज्य में अर्हतायुक्त चिकित्सकों की कमी को दृष्टि में रखते हुए शासन ने यह निश्चय किया है कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा और प्रान्तीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को बाहरी पदों के लिए आवेदन-पत्र देने की सुविधा नहीं दी जायेगी।

2. इन आदेशों से कृपया आप अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन समस्त सरकारी कर्मचारियों को अवगत करा दें।

12

शासनादेश संख्या-16/2/1968-कार्मिक-2 दिनांक 29 नवम्बर 1976

विषय : सरकारी कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों का अन्य सेवाओं के लिए अग्रसारित किया जाना।

Subject: Forwarding of applications of State employees for other services.

महोदय,

मुझे शासन के पार्श्वांकित कार्यालय-ज्ञापों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए सरकारी सेवकों के प्रार्थना-पत्र अन्तिम दिनांक समाप्त हो जाने के

(1) कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2290/दो-बी-47, 1948, दिनांक 13 सितम्बर, 1948।

(2) कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2167/2-बी-109-63, दिनांक 7 अगस्त, 1964।

(3) कार्यालय-ज्ञाप संख्या 16/2-1968-नियुक्ति-4, दिनांक 31 जनवरी, 1975।

(4) कार्यालय-ज्ञाप संख्या 16/2-1968-कार्मिक-2, दिनांक 14 जनवरी, 1976।

काफी देर बाद आयोग को अग्रसारित किये जाते हैं। इसके कारण आयोग को तथा स्वयं अभ्यर्थियों को अपरिहार्य असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

2. शासन उत्तरदायी अधिकारियों के स्तर पर हर प्रकार की शिथिलता को एक गम्भीर बात मानता है। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 1975 ई० में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में जो भी

प्रार्थना-पत्र सरकारी सेवकों से प्राप्त हों, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग, जैसी भी स्थिति हो, को अवश्य ही अग्रसारित कर दिये जायें, ताकि अभ्यर्थियों के चयन के विषय में यथासमय विचार करना सम्भव हो सके। किन्तु उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शासन के आदेशों के पालन की दशा में अब भी शिथिलता बरती जा रही है।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त आदेशों का आपके अधीनस्थ सभी अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है ताकि ऐसे विलम्ब की पुनरावृत्ति न हो। भविष्य में यदि ऐसे मामले शासन की जानकारी में आयेंगे तो उनको शासनादेशों की अवहेलना समझा जायेगा और तदनुसार ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

13

शा० सं०-16/2/1968-कार्मिक-2 दिनांक, 16 जनवरी, 1982

विषय : अपने मूल कार्यालय/विभाग से बाहर सेवायोजन के लिए राज्य सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण।

Subject: Disposal of application of State Govt. employees for posting on deputation outside their office /department.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2/68 नियुक्ति (ख) दिनांक 23 जनवरी, 1970 तथा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 19 जून, 1979 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिनमें राज्य के स्थायी सरकारी कर्मचारियों के बाहर पदों के लिये, आवेदन-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है।

(2) इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति के बारे में विचारोपरान्त शासन ने निश्चय किया है कि स्टेट बैंक आफ इन्डिया तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों (जिनकी सूची संलग्न है) केन्द्र पदों पर सेवा योजना हेतु राज्य के स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र शासनादेश संख्या 16/2/68 नियुक्ति (ख) दिनांक 23-1-1970 के प्रतिबन्धों के अधीन अग्रसारित किये जायेंगे और उस दशा में जबकि अन्त में किसी सरकारी कर्मचारी का नये नियोजक के अधीन नियुक्ति के लिये चुनाव हो जाये और वह जाना चाहे तो वह राज्य सरकार के अधीन अपने पद से कार्यालय ज्ञाप संख्या 4379/2क-661-1957 दिनांक 19-11-1959 के प्रस्तर 16 (3) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपने पद से मुक्त कर दिया जायेगा।

3—संघ लोक सेवा आयोग को अग्रसारण

14

शा० सं०-4017/5-(4)-72-नियुक्ति-4 दिनांक 30, जनवरी 1973

विषय : संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञप्ति पर प्राप्त आवेदनों का संघ लोक सेवा आयोग को अग्रसारण।

Subject: Forwarding of applications to Union Public Service Commission, received on advertisements of U. P. S. C.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर नियुक्ति (ख) विभाग के पृष्ठांकन संख्या 17/3/66-नियुक्ति-ख, दिनांक 5 सितम्बर, 1966 का अवलोकन करें, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग को सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन

पत्र-अग्रसारित करने के सम्बन्ध में कुछ सामान्य निर्देश परिचालित किये गये थे। मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया था कि सेवारत अभ्यर्थियों का आवेदन-पत्र विज्ञापन में निर्धारित अन्तिम तिथि के 15 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग को पहुँच जाना चाहिये। शासन को यह ज्ञात हुआ है कि उपयुक्त निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और कुछ मामलों में चयन की समाप्ति के पश्चात् आवेदन-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिनके फलस्वरूप अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया गया और वह उक्त चुनाव से वंचित हो गया। अतः यह अनुरोध है कि उपयुक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करायें।

Copy of letter No. F-2/80/66-R. A,, dated 10th August, 1977 form
Sri K. C. Pandey, Deputy Secretary, Union Public Service
Commission, Post Box No. 186, Dholpur House, New
Delhi-11, to all Chief Secretaries to the State
Governments/Union Territories.

I am directed to state that instructions issued to candidates who apply in response to the advertisements issued be the Union Public Service Commssion for recruitment to posts by selection provide inter alia that persons already in Government service and persons employed be quasi-government organisations should apply through theiv employers. These instructions also provide that candidates may, if they so desire, submit advance copies of their applications direct to the Commission. Such advance copies, if accompained by prescribed fee, are considered by the Commission provisionally, but the original applications are ordinarily required to reach the Commssion within a fortnight after the closing date indicated in the advertisement. Instances have come to notice where applications submitted by such candidates have been received by the Commission long after the prescribed date. Since action to screen applications is initiated by the Commission soon after the closing date, it is possible that candidates whose applications are unduly delayed may not actually get chance for being considered for the posts for which they apply. I am, therefore, to request you kindly to issue suitable instructions to the Department/officers or undertakings under your control requesting them to ensure that wherever it is decided to forward applications of persons who apply in response to the advertisements issued by the Commission for recruitment by selection, such applications may be forwarded to the Commission so as to reach them within a fortnight of the closing dates indicated in the advertisement.

15

भारत सरकार शासनादेश संख्या 28016/1/76-Estt. (C) कार्मिक-व प्रशासनिक सुधार विभाग
दिनांक 6 अक्टूबर, 1976

विषय : भारत सरकार के अधीन सेवा करने के अभ्यर्थियों के आवेदन का संघ लोक सेवा आयोग को अग्रसारण।

प्रेषक,

श्री सुमन कुमार मांडवत,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 19 जून, 1979

विषय:—अपने मूल कार्यालय/विभाग से बाहर सेवायोजन के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

कार्मिक अनु-भाग 2

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 1970 (प्रतिलिपि संलग्न) [illegible] उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिये राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों के पूरे सेवाकाल में [illegible] की ओर आकृष्ट करते हुए यह अलावा अन्य पदों के लिए केवल 6 आवेदन-पत्र ही अग्रसारित किये जाने की व्यवस्था है, कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रदेशों के आयोगों द्वारा विज्ञापित पदों हेतु स्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन-पत्र बिना किसी प्रतिबन्ध के अग्रसारित किये जायेंगे और ऐसे आवेदन-पत्र उक्त 6 आवेदन पत्रों की श्रेणी में नहीं सम्मिलित किये जायेंगे।

2—इस सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी (स्थायी अथवा अस्थायी) संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के आयोगों द्वारा भी विज्ञापित पदों के लिये अपने आवेदन-पत्र सीधे भेजने के लिए अधिकृत किये जाते हैं। सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी आवेदन-पत्र भेजने के तुरन्त बाद ही अपने विभाग/विभागाध्यक्ष को विज्ञापित पद के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना देते हुये उन्हें इस तथ्य से अवगत करा देंगे कि उसने आवेदन-पत्र सीधे भेज दिया है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर विभाग/विभागाध्यक्ष अपनी अनापत्ति/आपत्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग/अन्य प्रदेशों के आयोगों को सूचित कर देंगे। यह सूचना सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित आयोग को उनके द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि के [illegible] दिन के अन्दर पहुंच जानी है। यदि उक्त प्रकार के सूचना संघ लोक सेवा आयोग/अन्य प्रदेशों के आयोगों को [illegible] नहीं दी जाती तो सम्बन्धित आयोग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि विभाग/विभागाध्यक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और उस अधिकारी/कर्मचारी के आवेदन पर आयोग द्वारा विचार कर लिया जायेगा।

3—जहाँ तक प्रदेश के बाहर (चाहे वह केन्द्रीय सेवा का मामला हो, या अन्य राज्य सरकार का) पदों के लिए आवेदन-पत्रों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का प्रश्न है, इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक होगा कि विभागाध्यक्ष/विभाग इस बात का मूल्यांकन कर लेंगे कि क्या अपने जनशक्ति [illegible] को प्रदेश के बाहर भेजना हितकर होगा अथवा नहीं। तदनुसार विभागाध्यक्ष/विभाग अपने विवेकानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के पूर्व उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखेंगे और यदि वह यह समझते हैं कि अपने प्रदेश के [illegible] को इस प्रकार भेजना विभागीय हित में नहीं होगा तो यथा कारण बताते हुये वह संघ लोक सेवा आयोग अन्य प्रदेशों के आयोगों को निर्धारित समय के अन्दर अवश्य ही सूचित कर देंगे।

4—इस आदेशों से आप कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अवगत करा दें।

भवदीय,

सुमन कुमार मांडवत,
सचिव।

Anu(A)
[illegible]

संख्या 16/2(1966-(1)-कार्मिक-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3—निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
5—महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
6—समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को।

आज्ञा से,
के0 के0 एन0 सिंह,
उप सचिव।